राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 जनवरी, 2009/22 पौष, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 3 जनवरी, 2009

संख्या इण्ड—ए (बी)2—1/98.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर), वर्ग —II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर), वर्ग—II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**——(1) उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या 1–11 / 69 एस0आई0 तारीख 10–06–1970 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित दी रैक्रुटमैंट एण्ड प्रमोशन रुल्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास–II (गजेटिड) पोस्ट ऑफ सिल्क सीड प्रोडक्शन ऑफिसर / सेरीकल्चर ऑफिसर / सेरीकल्चर ऑफिसर (टसर) का एतदद्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

———————

उपाबन्ध ' क'

हिमाचल प्रदेश उद्यागे विभाग में रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर) वर्ग–II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर)।

2. **पदों की संख्या.**——

1. रेशम बीज उदपादन अधिकारी	–	02 (दो)
2. रेशम अधिकारी	–	01 (एक)
3. रेशम अधिकारी (टसर)	–	01 (एक)
कुल	–	04 (चार)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–II (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.**——6400–200–7000–220–8100–275–10300–340–10640 रूपये

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**——चयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को ,जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए

थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेल्लित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.——क. अनिवार्य अर्हता.——**मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कृषि/प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष सहित रेशम की शाखा में प्रशिक्षण ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कृषि विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष सहित रेशम में प्रशिक्षण व रेशम संगठन में रेशम प्रचालन में दो वर्ष का अनुभव ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक या इसके समकक्ष सहित रेशम में प्रशिक्षण तथा रेशम प्रचालन में दो वर्ष का अनुभव ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक या इसके समकक्ष सहित रेशम में प्रशिक्षण तथा रेशम संगठन में रेशम प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव ।

ख. वांछनीय अर्हताएं.——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.——(i) आयु.——**लागू नही

(ii) शैक्षणिक अर्हता.——लागू नहीं

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि काई हो.——**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वालेप दों की प्रतिशतता.——**पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.——**विकास अधिकारियों (रेशम) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रडे में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन

रहते हुए, गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.**––विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. **भर्ती करने में, किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(1) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.——सचिव (उद्योग), रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.——संविदा के आधार पर नियुक्त रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) को 9600/— रूपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 200/— रूपये की रकम (पद के वेतनमान में वार्षिकवृद्धि के बराबर) वर्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.——सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया.——संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.——जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सयम–सयम पर गठित की जाए ।

(VI) करार.——अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 9600/— रूपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200/— रूपये (पद के वेतनमान में वार्षिक वुद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ङ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में उद्योग विभाग में रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमले न का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.— सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————

उपाबन्ध–ख

रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्रारुप।

यह करार श्री /श्रीमति पुत्र/पुत्री श्री निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) के रुप मे संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :

1. यह कि प्रथम पक्षकार रेशम बीज उत्पादन अधिकारी/रेशम अधिकारी/रेशम अधिकारी (टसर) के रूप में.......................से प्रारम्भ होने और...................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय

पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी औरैर सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 9600 / – रूपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक, नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होंगे। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर) (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नही होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त रेशम बीज उत्पादन अधिकारी / रेशम अधिकारी / रेशम अधिकारी (टसर) का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चहिए।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का,यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1...
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

1..
....
....
(नाम व परा पता)

2...
....
....
(नाम व परा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

———————

COOPERATION DEPARTMENT

Shimla-171002, the 10th December, 2008

NOTIFICATION

No. Coop. A(2)-2/92.—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968, the Governor Himachal Pradesh is pleased to appoint Resident Commissioner, Pangi as Registrar Cooperative Societies for Pangi and Block Development Officer, Pangi as Assistant Registrar, Cooperative Societies for Pangi from the date of publication of this notification in Rajpatra.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

शिमला–171002, 07 जनवरी, 2009

अधिसूचना

संख्या ई0एक्स0एन0–ए (3)–6/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0–ए (3)–6/93 तारीख 6–12–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल (असाधारण) में तारीख 22–3–1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग आशुटंकक, (वर्ग–III) (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग आशुटंकक (वर्ग–III), (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–"अ" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग, आशुटंकक, (वर्ग–III), (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में,–

स्तम्भ संख्या 7 (प) के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य ।"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

————————

[Authoritative English text of this department Notification No.EXN-A(3)6/93 dated 07th January 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

Shimla-171002, the 07th January, 2009

NOTIFICATION

No. EXN-A(3)-6/93.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh of Excise and Taxation Department, Steno Sypist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. EXN-A (3)-6/93 dated 6.2.1997 and published in R.H.P. (Extra Ordinary) dated 22.3.1997, namely:-

1. **Short title & Commencement.**—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh. Excise and Taxation Department, Steno Typist, Class- III (Non-Gazetted) Recuirtment and Promotion (First Amendment) Rules, 2009.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Excise and Taxation Department,Steno Typist, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment & Promotion Rules,1997, for the existing entry against col. No. 7 (i), the following shall be substituted, namely:-

"Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized Board/University".

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

Shimla-171002, the……………

NOTIFICATION

No…………..—In exercise of the powers conferred by Clause(G) of Section 395 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994(Act No. 12 of 1994) Bye-Laws relating to Slaughter House having been made and previously published Municipal Corporation, Shimla and approved by the State Government as required under section 397(1) of the aforesaid Act, are hereby published for general information and shall come into force within the limits of Shimla Municipal Corporation from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh(extra ordinary), namely:—

1. Short title & Commencement.—(I) These bye-laws may be called the Shimla Municipal Corporation(Slaughter House)Bye-Laws,2008.

(2). These bye-laws shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definations.—In these bye-laws, unless there is any thing repugment to the subject or context-5 :

(i) "animal" means sheep, goats and pigs;
(ii) "Carcass" means the carcass of an animal which has been slaughtered in the specified manner".
(iii) "meat" means the flesh of sheep. Goat and pig and their products intended for human or animal consumption; "Committee" means the Municipal Corporation, Shimla;
(iv) "butcher" means the person preparing or dealing with
(v) Meat intended for human or animal consumption;
(vi) "Slaughter-man" means the person who slaughters the animal and dresses the carcass;
(vii) "Slaughter House" means the slaughter-house and the precincts thereof owned and managed by the Committee and includes the inspection yard, the waiting yard and the slaughter yard;

(viii) "Inspection Yard" means the place where the animals are presented to the Superintendent for ante-mortem inspection;

(ix) Waiting Yard" means the place where the animals are kept after approval for slaughter and before being admitted to the slaughter yard;

(x) "Slaughter Yard" means the place where the animals are slaughtered; and "Superintendent" means the Market Superintendent/Veterinary Public Health Officer of the Slaughter House appointed by the Committee as such and includes any person officiating or deputed to perform duty in his place.

THE SLAUGHTER HOUSE :

3. No animal shall except in case of necessity or for a purpose, be slaughtered in any place granted or licensed by the, Committee for the slaughtering of animals.

4. Adequate provisions shall be made at every place appointed or licensed for the slaughtering of animals for;

(i) An adequate supply of wholesome water.
(ii) Disinfection & Cleansing of utensils, instruments and hands.
(iii) Ventilation.
(iv) Lighting.
(v) Cleansing
(vi) Keeping the premises free from flies, carrion, rats, mice and other vermin.
(vii) Sufficient number of vessels or receptacles of galvanized iron or other non-absorbent material and furnished with closely fitting covers for the purpose of receiving and conveying all refuse products.
(viii) An adequate number of hangers or pulleys for hanging the carcasses.
(ix) Paying the slaughter yard with rough cement concrete or other non-slippery impervious material and for covering the internal surface of the surrounding walls with hard, smooth and impervious material to a height of at least six feet.
(x) Suitable drains to be connected with Municipal drains and in case of non-sewered towns with cesspools or pits constructed of non-absorbent material outside the building for the collection of refuse, filth etc.

5. The Veterinary Public Health Officer incharge of the Slaughter House. It shall be his duty;

(i) To attend at the Slaughter House during the hours fixed.
(ii) To inspect the animals ante-mortem.
(iii) To inspect carcasses.
(iv) To keep a record of the animals slaughtered.
(v) To see that at the end of each day's work the slaughter house is thoroughly cleaned and disinfected and all meat unfit for human or animal consumption has been duly destroyed or disposed off and
(vi) Generally to enforce the provisions of these bye-laws.

6. The Slaughter-House shall be open for the slaughter of animals during such hours only as the Committee may from time to time decides but in special circumstances and on the realization

of such, extra fee as the Superintendent may think fit, he may allow the slaughter of an animal at any other time, under his written permission.

7. The Veterinary Public Health Officer shall fix at a conspicuous place in the slaughter house notice showing;

(i) The hours of working of the slaughter house.
(ii) The fees payable and
(iii) Any other directions that the Committee deems fit to issue.

8. A copy of these bye-laws and a list of the registered slaughter-man shall be affixed at a conspicuous place in the slaughter-house.

9. Every person using the slaughter house shall be responsible for the damage willfully or negligently caused to the slaughter-house, either by his own acts or the acts of his servants and any such person who does not pay such damages may be excluded from the slaughter-house until he pays the cost of the damage done.

10. (i) No person suffering from tuberculosis, or any other infectious or contagious disease shall enter the slaughter house.

(ii) The Veterinary Public Health Officer may require any person using the slaughter-house to submit to a medical inspection.

11. No person shall create any disturbance in the slaughter house.

12. No person other than the Municipal staff on duty, inspecting officers, butchers, slaughter-men and their assistants or bonafide servants shall enter the slaughter house premises during the process of slaughtering, skinning or cutting up of carcasses.

13. Any person transgressing the provisions of by-laws 10((I),11 and 12 may be removed from the slaughter house summarily under the directions of Veterinary Public Health Officer.

14. (i) No person shall rub or cause to be rubbed the inner sides of the skins upon the ground within any portion of the slaughter house.

(ii) Hides and skins shall not be dragged within the slaughter house premises except on the hairy sides.

15. No gut scrapping trips, cleaning, manufacture or preparation of articles of food meant animals, house hold, washing or work of any nature, other than is involved in the slaughter house of animals and the dressing of carcasses, shall be permitted in the slaughter house.

16. No meat shall be sold on the premises of the slaughter house.

BEFORE THE SLAUGHTER :

17. Every animal intended for slaughter shall be brought to the inspection yard and presented for inspection to the Veterinary Public Health Officer.

18. No animal shall be approved for slaughter, if:—

(i) It is less than 15 months old.
(ii) It is in a febrile condition or is excessively old.
(iii) It is pregnant or is with unweaned young.
(iv) It is deceased or in a dying condition provided that an animal which has met with an accident, but is otherwise healthy may be approved.
(v) It show symptoms of having being treated cruelly by over trucking, over-driving or other acts.

19. No person shall bring into any part of the slaughter house:—

(i) An animal less than 15 months old.
(ii) An animal in a febrile conditions of excessively old.
(iii) An animal which is pregnant or is with unweaned young.
(iv) A deceased or dying or dead or any carcass or part thereof.
(v) An animal showing symptoms of having being treated cruelly by over-driving or other acts.
(vi) A dog or
(vii) Any animal not meant for slaughter or for the slaughter of which the slaughter house is not provided.

Any animal brought into the slaughter house in contravention of this bye-laws shall be summarily removed under the order of the Veterinary Public Health Officer.

20. The Veterinary Public Health Officer shall maintain a register in which he shall record:—

(i) the age, class, sex and a brief description of each animal presented for slaughter.
(ii) Name and address of the owner of the animal.
(iii) Result of ante-mortem inspection
(iv) Result of post mortem inspection and fees recovered.

21. An animal rejected for slaughter shall not be brought again to the slaughter house.

22. Animal found to be affected by any infectious or contagious disease or which are reasonably suspected of being so affected shall, if the Veterinary Public Health Officer so directs, be forthwith apprehended and removed to the Veterinary Hospital or such other place as the Committee man provide for the purpose.

23. Animals approved for slaughter shall be branded or marked with distinctive mark on the ears, hoofs or horn and admitted to the waiting yard, provided that no animal shall be admitted to the waiting yard , provided that no animal shall be admitted to the waiting yard, if the specified fee has not been paid.

24. While in the waiting yard the owner or the person incharge of the animal shall be responsible for its security, proper care, feeding and watering provided that the Committee may arrange for feeding of the animals, while in the waiting yard and recover the expenses from other owner.

25. All animals approved for slaughter shall be kept in the waiting yard, until the owners or the person incharge thereof receive permission from the Veterinary Public Health Officer to take them to the slaughter yard.

26. Slaughter house fee shall be collected from the owners or person incharge for all the animals to be slaughtered after inspection has been completed. The fee will be fixed/revised by the Corporation from time to time.

THE SLAUGHTER :

27. No animal shall be admitted to the slaughter yard, unless it is blindfolded.

28. Every person willing to work as a slaughter man in the slaughter house shall get his name registered as such in the Committee's office.

29. No person shall slaughter an animal in the slaughter house unless his name is registered as a slaughter-man.

30. The Veterinary Public Health Officer may inspect the instruments and appliances of every slaughter man and may prohibit the use of any instrument or appliance by a slaughter man, if in his opinion such instrument or appliance is not in proper working order.

31. The Veterinary Public Health Officer shall assign a place to each slaughter-man for slaughtering and no animal shall be slaughtered by a slaughter man at any other place than the place assigned to him.

32. Every animal shall be slaughtered immediately over the drain and no blood shall be allowed a flow upon the floor. No animal shall be slaughtered in public view, or in view of another animal.

AFTER THE SLAUGHTER :

33. Slaughtered animals shall be disemboweled as soon as possible after slaughter, to the satisfaction of the Veterinary Public Health Officer.

34. The contents of the stomach and bowels of the slaughtered animals shall not be washed into the drain or allowed to drop on the floor but shall be emptied into receptacles provided for the purpose by the Committee.

35. No person shall conceal, remove or obliterate any evidence of any disease in a carcass by washing, rubbing, stripping or in any other manner, before presenting it for inspection by the Veterinary Public Health Officer.

36. No person shall strip the serious membranes of a carcass, except with the permission and under the direct supervision of the Veterinary Public Health Officer.

37. No air shall be blown by mouth or by any other manner into the tissues of any carcass or part of the carcass. The Veterinary Public Health Officer may cause to be buried or destroyed any carcass or part of a carcass found to be blown or stuffed.

38. While upon the premises of the slaughter yard the fat of every animal slaughtered shall be kept freely exposed to the air.

39. All carcasses shall after skinning and cleaning be presented to the Superintendent for inspection.

40. (i) The Veterinary Public Health Officer shall have his own knives, wipe and instruments for examining carcasses and parts and organs thereof.

(ii) Knives and other instruments that have been used for cutting or examining any diseased organ, gland or tissue shall not again be used for any purpose until they have been properly disinfected.

41. (i) If a carcass is found on inspection to be free from disease, the Veterinary Public Health Officer shall pass it without undue mutilation as fit for human consumption.

(ii) If any part of the carcass is found to be disease it shall be removed, and the remainder passed fit for human consumption if it shown no symptoms of disease.

If the entire carcass is contaminated with disease or is otherwise unfit for human consumption, it shall be condemned.

42. All condemned meat shall be destroyed, buried or other-wise disposed off under the orders of the Veterinary Public Health Officer.

43. All carcasses which have been passed by the Veterinary Public Health Officer as fit for human consumption shall be marked "I issued" alongwith an identifying mark for the kind of meat such as:—

(i) "G" for goat flesh.
(ii) "M" for mutton.

44. No person except the Veterinary Public Health Officer or a person specially authorized by him shall affix or place or cause to be affixed or placed the inspection or identifying marks to or on any meat and no such marks shall be affixed or placed to or on any meat at any place other than the premises of the slaughter house.

45. No. person shall remove any carcass from the slaughter house premises until it has been duly passed by the Veterinary Public Health Officer.

46. No person shall remove entrails and offal's from the slaughter house until they have been properly washed and cleaned.

47. Any carcass or part thereof not removed from the slaughter house within the specified time or such further time as the Veterinary Public Health Officer may grant in this behalf shall become the property of the Committee and the Veterinary Public Health Officer shall by general or special order provide for the disposal of such carcass or parts thereof.

TRANSPORT :

48. No person shall remove or cause to be removed from the premises of the slaughter house any carcass or meat except in a clean receptacle and duly covered in such a manner as to be screened from public view and adequately protected against flies and dust.

If any carcass or meat is removed in a vehicle the conveyance shall be such that the meat is well ventilated but at the same time invisible. The carcasses shall be huge on hooks and not dumped on the floor of the vehicle.

49. Every person who conveys or cause to be conveyed meat in a vehicle;

(i) Shall keep or cause to be kept clean the inside and covering of the vehicle, the receptacle in which the meat is placed and such parts or any slings or other implements or apparatus used for loading or unloading as come into act with meat or its covering.
(ii) If the vehicle is open at the top, bank or sides shall cause the meat to be adequately screened and protected by means of a clean cloth or other suitable material and
(iii) Shall not permit any live animal or any other article to be conveyed in the vehicle at the same time.

50. Every person engaged in the handling or transport of meat shall take such precautions as are necessary to prevent the meat from coming into contact with the ground or being otherwise subject to contamination.

PENALITY:

51. Any person who commits a breach of the provisions of any of these bye-laws shall, on conviction by a Magistrate, be punishable in accordance with Section 396 of the Act.

PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla – 171 002, the 1st January, 2009

No. 04-76/84-PSC.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Chairman, H.P. Public Service Commission in consultation with H.P. Public Service Commission is pleased to order the promotion of Smt. Sumana Chaudhary, presently officiating as Additional Registrar (Class-I Gazetted) on adhoc basis to the post of Additional Registrar (Class-I Gazetted) in the pay scale of Rs. 7220- 220-8100-275-10300-340-11660 + Rs.600/- Sectt. Allow. on regular basis with immediate effect.

2. The above promotion will, however, be subject to the final outcome in O.A.2572/98 titled Ram Swaroop Verma versus H.P. Public Service Commission & others in the Hon'ble H.P. Administrative Tribunal.

3. She will be on probation for a period of two years from the date of her joining.

By order,
Sd/-
Secretary.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर (तहसीलदार), जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0	गांव	तारीख पेशी
शुन्य	पंजगाईं	23—1—2009

श्री निशिकान्त शर्मा सुपुत्र श्री श्याम दास शर्मा, निवासी गांव पंजगाईं, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री निशिकान्त शर्मा सुपुत्र श्री श्याम दास शर्मा, निवासी गांव पंजगाईं, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी पुत्री निहारिका शर्मा का जन्म दिनांक 29—3—2002 को गांव पंजगाईं में हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः अब जन्म तिथि को अभिलेख में दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23—1—2009 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना—पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30—12—2008 को हस्ताक्षर हमारे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Jakir Hussain s/o Sh. Sahab Din, r/o Bara, Teh. Dehra (H.P.)

बनाम

General Public

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Jakir Hussain ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री Nazma Bibi का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 12—6—2002 तथा बच्चे का जन्म Bara गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 15–1–2009 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–11–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

राजीव

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजीव ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अन्तरा शर्मा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है अब दर्ज किया जावे। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 29–11–2005 तथा बच्चे का जन्म देहरा गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 8–2–2009 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–12–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री वी0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0............................ तारीख 10—2—2009

श्री भगवान दास

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता,

प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भगवान दास पुत्र श्री वरडू राम, निवासी मुहाल वन्दला, मौजा नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसके लड़के अर्चित कपूर का जन्म दिनांक 18—4—2004 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत वन्दला के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10—2—2009 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा अर्चित कपूर पुत्र श्री भगवान दास की जन्म तिथि 18—4—2005 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22—12—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री भाग चन्द, निवासी शेहदरी, डाकघर कांगल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा :

प्रार्थना—पत्र नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारे।

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री भाग चन्द, निवासी शेहदरी, डाकघर कांगला, जिला शिमला ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में चमन लाल लिखा है जबकि उसका नाम अन्य दस्तावेज में रमेश चन्द है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अन्य दस्तावेज अदालत हजा में प्रस्तुत किए हैं जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी का नाम रमेश चन्द ही है अगर किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करवाने हेतु

कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज लिखित रुप से दिनांक 30—1—2009 को प्रस्तुत कर सकता है ऐतराज नहीं प्राप्त होने की सूरत में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 18—12—2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप—मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री राम सिंह पुत्र श्री जोगी राम, ग्राम बागड़ी, ग्राम पंचायत बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ... प्रत्यार्थी।

आवेदन—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम सिंह पुत्र श्री जोगी राम, ग्राम बागड़ी, ग्राम पंचायत बलधार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अपने पुत्र सुर्याश जिसकी जन्म तिथि 7—2—2006 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बलधार में दर्ज करवाने हेतु आवेदन—पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25—1—2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19—12—2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप—मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप—मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती बिमला मेहरा पत्नी स्व0 श्री गोपाल सिंह, ग्राम सन्धू, ग्राम पंचायत सन्धू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती बिमला मेहरा पत्नी स्व0 श्री गोपाल सिंह, ग्राम सन्धू, ग्राम पंचायत सन्धू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने ससुर के नाम धनू सिंह से बदल कर धन सिंह रखना चाहती है जो सही है इसलिए ग्राम पंचायत सन्धू के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती नाम के बारे में आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती सुषमा पत्नी श्री मदन वर्मा, ग्राम महेवग, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुषमा पत्नी श्री मदन वर्मा, ग्राम महेवग, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री तनु जिसकी जन्म तिथि 1–3–2007 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री नरेश पुत्र श्री मोती राम, ग्राम कोलमू, ग्राम पंचायत टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेश पुत्र श्री मोती राम, ग्राम कोलमू, ग्राम पंचायत टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, ने अपने पुत्र निशान्त जिसकी जन्म तिथि 29–10–2002 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टियाली में दर्ज करवाने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री राजू पुत्र श्री दुनिया, ग्राम शाए, ग्राम पंचायत वलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजू पुत्र श्री दुनिया, ग्राम शाए, ग्राम पंचायत वलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, ने अपनी माता किरपी जिसका देहान्त तिथि 28–8–2004 को हो चुका है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत वलग से नाम कटवाने हेतु आवेदन–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती सुनीता पुत्री श्री मोही राम, ग्राम नोहल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुनीता पुत्री श्री मोही राम, ग्राम नोहल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने दादा माठा राम जिसका देहान्त 10–6–1999 को हो चुका है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नोहल से नाम कटवाने हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

——————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सुरेश एल मेहता पुत्र श्री लच्छी राम, ग्राम धाली, ग्राम पंचायत सैन्ज, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

नाम की दरुस्ती बारे आवेदन–पत्र।

श्री सुरेश एल मेहता पुत्र श्री लच्छी राम, ग्राम धाली, ग्राम पंचायत सैन्ज, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपना नाम सुरेश से बदल कर सुरेश एल मेहता रखना चाहता है इसलिए ग्राम पंचायत सैन्ज के परिवार रजिस्टर में इर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री अश्वनी राज शाह, उप–मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री रोशन लाल पुत्र श्री माठा राम, ग्राम डरोल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

आवेदन–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रोशन लाल पुत्र श्री माठा राम, ग्राम डरोल, ग्राम पंचायत नोहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, ने अपने भाई प्रीतम सिंह का नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नोहल से कटवाने बारे आवेदन–पत्र गुजार रखा है जबकि प्रीतम सिंह की मृत्यु दिनांक 12–8–2007 को हो चुकी है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–1–2009 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–12–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी राज शाह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री केसर राम, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0	तारीख मरजुआ	आगामी देह तारीख पेशी
04-MISE-2008	02-12-2008	07-02-2009

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री अमर नाथ, वासी पंडोगा हाल, पत्नी श्री सुभाष चन्द वासी जीतपुर वहेड़ी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। ...वादीया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम की दरुस्ती पंचायत रिकार्ड संघनई, तहसील अम्ब में दर्ज करवाने बारे।

इश्तहार मुशत्री मुनादी :

श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री अमर नाथ, वासी पंडोगा हाल, पत्नी श्री सुभाष चन्द, वासी जीतपुर वहेड़ी, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस आश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि मुताविक स्कूल प्रमाण–पत्र वास्तव में उसका नाम सोमा देवी पुत्री अमर नाथ सही व दरुस्त दर्ज है, लेकिन उसकी शादी होने के बाद उसके सुसराल के ग्राम पंचायत संघनेई के रिकार्ड में सीमा देवी पत्नी सुभाष चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। अतः अब सीमा देवी की बजाये सोमा देवी दरुस्त दर्ज किया जावे।

अतः सर्व–जनसाधारण व उसके रिस्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उज्जर हो तो वह निश्चित दिनांक 7–2–2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10–00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ती या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 2–12–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया।

मोहर।

केसर राम,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
प्रथम वर्ग अम्ब, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री मेहर सिंह बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी डंगोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदातल में दरख्वास्त दी है कि उसकी मामी लक्ष्मी देवी की मृत्यु गांव डंगाली में दिनांक 28—12—2004 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज तो वह दिनांक 23—1—2009 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19—12—2008 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री अयोध्या लाल बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अयोध्या लाल पुत्र श्री सन्त शिवचरन दास, निवासी कोटला खुर्द, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री शोभा रानी का जन्म गांव कोटला खुर्द में दिनांक 7—2—1953 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के अदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज तो वह दिनांक 23—1—2009 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23—12—2008 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री कर्म चन्द बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री बाबू राम, निवासी वडैहर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पिता बाबू राम की मृत्यु गांव वडैहर में दिनांक 6–10–1986 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज तो वह दिनांक 23–1–2009 को सुवह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23–12–2008 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित